न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 2022/59 (जीसीएमएस नम्बर 2022/213)

1. रामशरण पुत्र सुन्दरलाल,
2. महाराम पुत्र सुन्दरलाल,
3. रामरति पुत्री सुन्दरलाल,
4. परमेश्वरी पुत्री सुन्दरलाल,
5. रमेश पुत्री सुन्दरलाल, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुतुबपुर (कतौपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान वारिसान मृतक भागौती बेवा सुन्दरलाल।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. महीपाल पुत्र छोटेलाल,
2. अभयसिंह पुत्र छोटेलाल जाति चमार, निवासीयान कुतुबपुर (कतौपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर वारिसान मृतक छोटेलाल पुत्र कन्हैया।
3. रामबक्स पुत्र ताराचन्द,
4. डीगराम पुत्र ताराचन्द,
5. अमीलाल पुत्र ताराचन्द जाति चमार, निवासी ग्राम कुतुबपुर (कतौपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर वारिसान मृतक संतरा बेवा ताराचन्द।
6. मन्जू देवी पत्नि रामनिवास,
7. लीलाराम पुत्र रामनिवास,
8. चिन्टू पुत्र रामनिवास, जाति चमार, निवासी कुतुबपुर (कतौपुर) तहसील कोटकासिम, जिला अलवर वारिसान मृतक रामनिवास पुत्र ताराचन्द।
9. बसन्ती पुत्री ताराचन्द, जाति चमार, निवासी कुतुबपुर (कतौपुर) तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, राजस्थान।
10. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी, जिला अलवर निर्णय दिनांक 22.07.2022 मु0नं0 16/02/21 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4)

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट।
2. श्री कैलाश कुमार, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा0 09 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –27.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भू आवंटन परामर्शदात्री समिति तहसील किशनगढबास, जिला अलवर द्वारा कैम्प भोंकर में आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर (कतौपुर) तहसील कोटकासिम, जिला अलवर की सिवायचक भूमि का आंवटन ताराचन्द, छोटेलाल पुत्र कन्हैयालाल को दिनांक 01.09.1975 को किया गया था। जिस आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र धारा 14(4) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी (अलवर) द्वारा दिनांक 22.07.2022 को खारिज फरमा दिया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाड़ी, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामशरण पुत्र सुन्दरलाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी, जिला अलवर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भू आवंटन परामर्शदात्री समिति तहसील किशनगढबास, जिला अलवर द्वारा कैम्प भोंकर में आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम कुतुबपुर (कतौपुर) तहसील कोटकासिम, जिला अलवर की सिवायचक भूमि रेस्पोडेन्ट के बुजुर्ग ताराचन्द, छोटेलाल पुत्र कन्हैयालाल को दिनांक 01.09.1975 को विधि विरूद्ध आवंटन की गई थी। जिस आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र धारा 14(4) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2022 को खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंटन अधिनियम 1956 अंतिम बहस के लिये नियत नही था, लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.07.2022 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को बिना पक्षकारों की बहस सुने ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2022 द्वारा खारिज कर दिया गया। दिनांक 22.06.2022 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अभिभाषकों की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल पर बहस सुनी गई थी और पत्रावली प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल के आदेश के लिये दिनांक 29.06.2022 नियत की गई थी जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से होती है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 14(4) पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2022 पारित किया गया है। दिनांक 22.07.2022 की आदेशिका से यह भी स्पष्ट नही है कि प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल स्वीकार किया गया था अथवा नहीं, और यदि यह मान भी लिया जावें कि प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल स्वीकार किया गया है तो संशोधित टाईटल आदि प्रस्तुत करने का कोई आदेश भी नही दिया गया है और ना ही अपीलान्ट द्वारा कोई संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा प्रकरण पर बिना गौर किये ही जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2022 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध व न्यायिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 में यह अंकित किया गया है कि मियाद अधिनियम की धारा 5 पर नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाता है जबकि आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र दफा 5 पर कोई बहस सुनी ही नही गई थी। इसके अलावा मृतक भागौती बेवा सुन्दरलाल व छोटेलाल पुत्र कन्हैयालाल, रामनिवास पुत्र ताराचन्द के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है लेकिन दिनांक 22.07.2022 के आदेशिका में ऐसा कोई अंकन नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 में यह भी स्पष्ट अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को बेदखली के आदेश पारित किये गये है जबकि उक्त बेदखली के आदेश दिनांक 28.08.1997 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 12/511 साबिक 12/290/971 अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर द्वितीय के न्यायालय में दायर की गई थी जो अपील दिनांक 03.01.2000 को खारिज की गई। जिस निर्णय दिनांक 03.01.2000 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा एक निग./अपील/अलवर/निग/टी.ए./31/2000/06.06.2000 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर की गई। जिस रिविजन में दिनांक 04.04.2000 को स्थगन आदेश इस आशय का पारित किया गया कि मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के संदर्भ में अगर निगराकार चाही दोयम भूमि होने के नाते और न्यायहित में 500/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से नगद प्रतिभूति जमा करवाने पर ही दिनांक 28.08.1997 के आदेश की क्रियान्विति आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है, उक्त राशि अन्दर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3 माह निगराकार जमा करवा सकता है। उसी दिनांक से स्थगन आदेश प्रभावी होगा। अपीलान्ट आज तक उक्त राशि 500/– रूपये प्रतिवर्ष तहसील कार्यालय में जमा कराते आ रहे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दु पर भी गौर नही किया। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 03.01.2000 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे जरिये निगरानी संख्या 10224/2000 के विरूद्ध चुनौती दी हुई थी जिस निगरानी का अंतिम निर्णय दिनांक 01.04.2011 को अपीलान्ट के पक्ष मे किया गया और माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ में यह आदेश पारित किया कि जब तक मूल वाद का निस्तारण नही कर दिया जाता तब तक मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश लागू रहेगा इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलान्ट की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निगरानाधीन आदेश निरस्त किये गये थे लेकिन तहत न्यायालय ने इन आदेशों के परे जाकर अपने निर्णय में यह विवेचन किया है कि 183 बी के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं जबकि उक्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सशर्त निरस्त किये जा चुके हैं। उक्त विवादित आराजी का मिन अपीलान्ट के बुजुर्ग जमाबन्दी सम्वत 2014 के अनुसार खातेदार काश्तकार है और भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी का गलत इन्द्राज करते हुये सिवायचक दर्ज कर दिया गया था। जिसे मिन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.03.1996 को एक दावा 73/1996 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दायर किया गया। जो वाद दिनांक 18.01.1999 को न्यायालय सहायक कलक्टर तिजारा द्वारा डिक्री मिन अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.1999 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा एक अपील 56/1999 भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में दायर की गई। जो अपील दिनांक 20.06.2006 को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.1999 को निरस्त कर दिया गया।

मिन अपीलान्ट द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 20.06.2006 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील/टी.ए./6403/2006/अलवर उनवान भगौती वगैरहा बनाम सन्तरा दायर की गई। जो अपील मिन अपीलान्ट की दिनांक 13.07.2009 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2006 तथा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, तिजारा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.01.1999 को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास, अलवर को प्रतिप्रेषित करते हुए मूल वाद को पुनः नम्बर पर दर्ज कर सर्वप्रथम वादी पक्ष से संशोधित उनवान प्राप्त कर प्रतिवादीगण को एक माह में जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए वाद का नियमानुसार परीक्षण कर निस्तारण करे। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध मे नियमित वाद विचाराधीन है और जिसके विचाराधीन रहते हुए अन्य कार्यवाही विवादित आराजी के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती थी लेकिन तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर श्रीमान है। विवादित आराजी हम अपीलान्टान के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी पर मिन अपीलान्टान आज भी मौके पर काबिज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी, जिला अलवर के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आदेशिका दिनांक 22.06.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मरम्मत सवाल बहस सुनी गई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

थी, किन्तु दिनांक 22.07.2022 को अपील का निर्णय कर दिया गया, जो विधिवत प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रकरण भू–आवटन नियम की धारा 14(4) से संबंधित है। जिसके अंतर्गत आंवटी का कब्जा नहीं होने पर आंवटित भूमि को राजसात किया जाकर पुनः राजकीय खाते में दर्ज किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में कब्जा काश्त बाबत कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है जो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कौन काबिज है, यदि आंवटी काबिज/काश्त है तो विधिवत कार्यवाही की जावे तथा यदि किसी अन्य पक्ष (आंवटी के अतिरिक्त) का कब्जा पाया जावे तो वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में यदि भूमि राजसात योग्य पायी जावे तो राजसात किया जाकर राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला अलवर दिनांक 22.07.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कौन काबिज है, यदि आंवटी काबिज/काश्त है तो विधिवत कार्यवाही की जावे तथा यदि किसी अन्य पक्ष (आंवटी के अतिरिक्त) का कब्जा पाया जावे तो वादग्रस्त भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में यदि भूमि राजसात योग्य पायी जावे तो राजसात किया जाकर राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर